सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकथाना जिला सीकर (राज.)

Email- sdm.nkt.sik@gmail.com Phoneno. - 01574.230037

क्रमांकः—राजस्व / 2025 / 205 दिनांकः— 07 अप्रैल, 2025

तहसीलदार,
नीमकाथाना

(GCMS-2025/158)

विषयः— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132 **मुकदमा संख्या 86 / 2025** गै० मु० रास्ता के प्रस्ताव में पारित निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित गै० मु० रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के न्यायालय हाजा के मुकदमा संख्या 86 / 2025 के सम्बंन्ध में न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2025 को निर्णय पारित किया जा चूका है। निर्णय व प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

अतः किसी दीगर न्यायालय का स्थगनादेश ना हो तो मुताबिक निर्णय के नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :—निर्णय व प्रस्ताव की प्रति

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:44:45 IST
Reason: SelfAttested

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना **बनाम** गै.मु.रास्ता (छापर)

(मुख्य सड़क छापर से ढाणी चौहानों की तक)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 **मु0नं0** 86 **सन् 2025 जीसीएमएस नं.** 2025/158

ख ।	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04-2025 3-4-25	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/1053 दिनांक 28.03.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम **छापर** पटवार मण्डल **बासड़ी खुर्द** तहसील नीमकाथाना स्थित **भूमि खसरा नम्बर 973 रकबा 1.10 हैक्ट. किस्म बारानी–2 मे से 0.02 हैक्ट., खसरा नम्बर 979 रकबा 1.58 हैक्ट. किस्म बारानी–2 मे से 0.02 हैक्ट. , खसरा नम्बर 981 रकबा 1.67 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.13 हैक्ट., खसरा नम्बर 986 रकबा 2.02 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 994 रकबा 1.91 हैक्ट. किस्म बारानी–2 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 991 रकबा 1.90 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.03 हैक्ट., रास्ता कुल 04 मीटर चौड़ा व 650 मीटर लम्बाई, कुल 2600 वर्ग मीटर का गै.मु.रास्ता मुख्य सड़क छापर से ढाणी चौहानो की तक** का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू होना एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत का मांग पत्र, प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र, रास्ते के चलने बाबत, प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रयोग में आते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.05.07 12:44:45 IST

Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव

है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। **तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा।** तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:44:45 IST
Reason: SelfAttested